

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 4 (16) आयो/निकाशि /2013/1166-90

दिनांक 14 अगस्त, 2013

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर/कला अलवर/भीलवाडा/भरतपुर /श्रीगंगानगर /बीकानेर
सीकर/कोटा /चूरु/बून्दी /सिरोही /झालावाड़ /
नागौर /धौलपुर व पाली

विषय :-विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो की अनुपालना सुनिश्चित कराने बाबत


उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपके महाविद्यालय को विभाग के पत्र क्रमांक 1263 दिनांक 12 मई, 2005 को पैतृक महाविद्यालयों के अलग हुए 15 राजकीय विधि महाविद्यालयों को स्वतंत्र भवन बनने तक कुछ सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश प्रदान किये गये थे किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि कुछ पैतृक महाविद्यालयों के प्राचार्य उक्त निर्देशो की पालना नहीं की है। जिसके अभाव में बी.सी.आई व विश्वविद्यालय के निरीक्षण के समय बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः ऊपर वर्णित पत्र में उल्लेखित निम्न बिन्दुओं की अक्षरतः पालना कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

बिन्दु संख्या 6 विधि महाविद्यालय में मूट कोर्ट की व्यवस्था करें।

बिन्दु संख्या 7 विधि महाविद्यालय में पृथक पुस्तकालय की स्थापना कर विद्यमान महाविद्यालय से विधि की समस्त पुस्तके, पत्रिकायें आदि विधि पुस्तकालय में स्थानान्तरित की जावें।

बिन्दु संख्या 8 विधि महाविद्यालय के कार्यालय, पुस्तकालय, एवं कक्षाओं हेतु फर्नीचर कम्प्यूटर स्टेशनरी आदि की व्यवस्था पैतृक महाविद्यालय के द्वारा की जावेगी।

बिन्दु संख्या 9 एक लिपिक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पैतृक महाविद्यालय से विधि महाविद्यालय में लगाये जावे।



(ज्योति जैन)
निदेशक

क्रमांक एफ 4 (16) आयो/निकाशि /2013/1181-95

दिनांक 14 अगस्त, 2013

1-प्रतिलिपि प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर/अलवर/भीलवाडा/ सिरोही /भरतपुर/बून्दी /
चूरु/ झालावाड़ / श्रीगंगानगर /बीकानेर /पाली / कोटा / सीकर / धौलपुर / नागौर

2- श्री श्रीरंजु की, अजमेर, वेब साइट जर्नल


संयुक्त निदेशक